

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर 2022—कार्तिक 25, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2022

आदेश क्र. एफ ए 3-01-2022-1-पांच (67).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-01-2022-1-पांच (13), भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022 के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपायुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध, उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन लंबित या उद्भूत होने वाले अपील प्रकरणों को निपटाने की शक्तियों का उपयोग करने के लिए कॉलम (3) में क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती है, यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होगा:—

सारणी

| अ.क्र. (1) | नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2) | क्षेत्र (3) |
|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | श्रीमती तन्वी हुड्डा, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इंदौर | इंदौर परिक्षेत्र-2 |
| 2 | श्री मिरा कुम्हार, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इंदौर | इंदौर संभाग-3 |
| 3 | श्री गोपाल पोरवाल, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इंदौर | इंदौर संभाग-1 एवं इंदौर संभाग-2 |
| 4 | श्री नारायण मिश्र, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर | भोपाल परिक्षेत्र |
| 5 | श्री यू. एस. बैस, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर (एंटी ईवेजन ब्यूरो, ग्वालियर). | ग्वालियर परिक्षेत्र |
| 6 | श्री आर. के. शर्मा, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय, इन्दौर | जबलपुर परिक्षेत्र |

परंतु, यह कि ऊपर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा स्वयं द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध लंबित अथवा उद्भूत होने वाली किसी अपील का निर्वर्तन नहीं किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2022

क्र. एफ ए 3-01-2022-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-01-2022-1-पांच (67), दिनांक 16 नवम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 16th November 2022

Order No. F-A-3-01-2022-1-V(67).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (20 of 2002) and in accordance with Notification No. F-A-3-01-2022-1-V(13), Bhopal, dated 4th February, 2022 of this department, the State Government, hereby, specify the areas in Column (3) of the Appellate Authority mentioned in Column (2) of the Table below to exercise the powers to dispose off the Appeal cases pending or arising Under Section 46 of the said act against orders passed by Deputy Commissioner, Commercial Tax. This responsibility shall be in addition to their present responsibilities:—

TABLE

| S. No. (1) | Name, Designation and Present Posting (2) | Area (3) |
|---------------|--|--|
| 1 | Mrs. Tanvi Hooda, Additional Commissioner, Commercial Tax, Head Quarter, Indore. | Zone Indore-02 |
| 2 | Shri Mirra Kumhar, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Quarter, Indore, | Indore Division-3 |
| 3 | Shri Gopal Porwal, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Quarter, Indore, | Indore Division-1 and Indore Division-2. |
| 4 | Shri Narayan Mishra, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Quarter, Indore. | Zone Bhopal |
| 5 | Shri U. S. Bais, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Office of the Commissioner Commercial Tax, Madhya Pradesh, Indore (Anti Evasion Bureau Gwalior). | Zone Gwalior |
| 6 | Shri R. K. Sharma, Deputy Commissioner, Commercial Tax, Head Quarter, Indore. | Zone Jabalpur |

Provided that the officers mentioned above will not dispose off any appeal pending or arising against any orders passed by themselves.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.